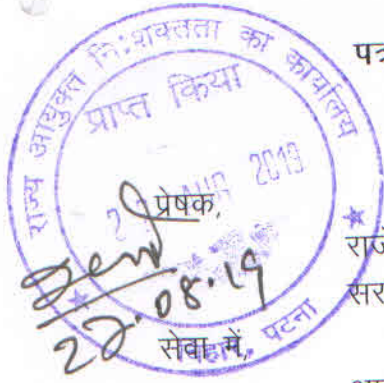




पत्र संख्या-11/आ0-विविध-10/2017 सा0प्र0.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-21 के अनुरूप समान अवसर नीति का एक मॉडल प्रारूप तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-21 के अनुरूप सभी स्थापना के द्वारा दिव्यांगजनों के निमित्त समान अवसर के नीति से संबंधित विभाग द्वारा किये गए कार्यों को अधिसूचित किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रत्येक स्थापना के लिए दिव्यांगजनों के निमित्त समान अवसर के नीति से संबंधित मॉडल प्रारूप समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विकसित करने की कृपा की जाय, ताकि इसे सभी स्थापनाओं में समान रूप से लागू किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0-विविध-10/2017 सा0प्र0..... पटना-15, दिनांक-20-8-19

प्रतिलिपि-राज्य आर्युक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।